

प्रेषक

उप श्रम आयुक्त,  
सर्कल-2, गुरुग्राम।

प्रेषित

- President  
1 Industrial Association IMT Manesar,  
Gurugram  
2 Manesar Industrial Welfare Association IMT Manesar,  
Gurugram  
3 IDA, Sector 37,  
Gurugram

क्रमांक 336-38 दिनांक 23/2/2021

विषय


**Regarding generation the Privaar Pechaan Patra (PPP) of all the workers employed in Industrial establishments in Haryana as directed by Worthy Labour Commissioner, Haryana through V C on dated 23-02-2021.**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि माननीय हरियाणा सरकार ने हरियाणा में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा के स्थाई एवम अस्थायी निवासियों को हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं एवम योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र बनवाने के उपरान्त ही दिया जायेगा।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप स्वयं एवम अपने औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी स्थाई, टेका श्रमिक एवम अन्य सभी प्रकार के श्रमिकों का परिवार पहचान पत्र बनवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए आप इस कार्यालय से सम्पर्क कर सभी प्रकार की जानकारी एवम सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

इसे अति आवश्यक समझे एवम इस कार्य को जल्द से जल्द पुरा करवायें।

  
उप श्रम आयुक्त,  
सर्कल-2, गुरुग्राम।